रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1990/माघ 20, 1911
No. 51] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1990/MAGHA 20, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1990

सा. का. नि. 69 (अ):—भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति, भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 38 के उपखंड (2) की धारा (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियों और कर्तव्य) विनियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) संशोधन विनियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियां और कर्तव्य) विनियम, 1987 में :

(क) विनियम 3 के उपविनियम (1) में धारा (ङ.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्

"(ङ.) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के अध्यक्ष की, सामान्य वित्तीय नियम, 1963, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, 1976, आधारभूत नियम तथा अनुपूरक नियम, 1922, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपचार) नियम, 1944, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965, अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962, समय समय पर यथा संशोधित और इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट शक्तियां हैं।

(ख) अनुसूची में क्रमांक 1, 21 तथा 28 तथा उनसे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रमांकों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

क्रमांक	शक्ति	सीमा
1.	ब्यूरो के अधीन स्थायी कर्मचारी को अपने पद पर धारणाधिकार रखने की अनुमति देना:	
	(क) केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय की नौकरी के मामले में।	प्रारंभ में दो वर्ष तक जो किन्हीं विशेष मामलों में एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
	(ख) सरकारी आधार पर विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति के मामले में।	प्रारंभ में दो वर्ष तक जो अगले तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सके।
21.	ऐसे वेतनमान वाले सभी रिक्त पदों को अधिष्ठायी तौर पर भरना जिनका अधिकतम वेतन 4500 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है (शक्ति के अंतर्गत नियुक्ति, पुष्टि और सेवा समाप्ति की शक्ति है)।	पूरी शक्ति
28.	ब्यूरो की संबंधित प्रभाग परिषद/खंड समिति से और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशनों के लिए शिष्टमंडलों का नाम निर्देशन करना जो विचाराधीन विषय वस्तु से संबंध रखते हैं।	बजट प्रावधान के अनुसार पूर्ण अधिकार किन्तु जिसके बारे में कार्यकारिणी समिति को रिपोर्ट की जाएगी।

[सं. बी आई एस/ई सी/आर ई जी/5]

आर. के. माथुर, महानिदेशक

नोट:—प्रमुख अधिसूचना सा. का. नि. 536(अ); दिनांक 1 जून, 1987 को प्रकाशित हुई तथा सा.का.नि. 1031(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 द्वारा संशोधित की गई।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, 9th February, 1990

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by clauses(b) of sub-section (2) of section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986),the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Powers and Duties of Director General) Regulations, 1987, namely.—

1.(1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Powers and Duties of Director General) Amendment Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Stardards (Powers and Duties of Director General) Regulations, 1987:—

(a) in regulation 3 in sub-regulation (1) for clause(e) the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) exercise powers vested with the Head of the Department in the Central Government under the General Financial Rules, 1963; Delegation of Financial Powers Rules, 1978 ; the Fundamental Rules and the Supplementary Rules, 1922 ; Central Civil Services (Pension) Rules, 1972;

Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944; General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 ; Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 ; Central Civil Service (Conduct) Rules, 1962 ; Central Civil Services Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 as amended from time to time and the powers specified in the Schedule appended to these regulations."

(b) In the Schedule against serial numbers 1, 21 and 28 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively, be substituted, namely.—

"Sl. N.	Powers	Extent
1.	To permit a permanent employee of retain lien on a post under the Bureau ;	
	(a) In case of employment in Central/State Government Department Public Sector Undertaking or automomous body.	Initially upto two years extendable by one more year in exceptional cases.
	(b) In case of deputation to developing countries on Government basis.	Initially upto two years extendable by another three years.
"21.	To fill substantively all vacant posts with scale of pay the maximum of which does not exeed Rs. 4500 per month. (This power includes the power to appoint, to confirm and to terminate).	Full Powers"
"28.	To nominate delegations to international meetings after consulting the concerned Division Council/Sectional Committee of the Bureau and other interests concerned with the subject-matter under discussion.	Full powers within the budget provision subject to report to Executive Committee."

[No. BIS /EC/REG/5]
R.K. MATHUR, Director General

Note.—The Principal notification was published vide No. G.S.R. 536(E), dated the 1st June, 1987 and amended vide G.S.R. No. 1031 (E), dated the 31st December, 1987.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990